

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

✓ सभी संबंधित डी.डी.ओ.,
श्रम विभाग, हरियाणा राज्य।

क्रमांक: स्था0/01/2019/26943-95

दिनांक: 28-8-19

Subject:- Creation of Family ID of all State Govt. Employees including contractual employees.

उपरोक्त विषय पर के संदर्भ में।

विषयोक्त मामलें में सूचित किया जाता है कि कार्यालय पत्र दिनांक 17.08.2019 अनुसार श्रम विभाग के सभी संबंधित डी.डी.ओ. को पत्र जारी करते हुए विषयोक्त मामलें में कर्मचारियों/अधिकारियों (नियमित एवं तदर्थ) के परिवार की पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रोफार्म अनुसार भरकर संबंधित जिला योजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने बारे निर्देश दिये गये थे, परंतु कार्यालय ध्यान में आया है कि अभी तक कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विषयोक्त मामलें में अपनी सूचना संबंधित जिला योजना अधिकारी के कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि विषयोक्त मामलें में निर्धारित प्रोफार्म अनुसार सूचना तैयार करके ई-मेल (establishment456@gmail.com) के माध्यम से दिनांक 29.09.2019 तक भिजवाना सुनिश्चित करें, जोकि निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Name of the office of DDOs	Total no. of employees in the office.		Total no. of employees whose Pariwar Pachan Form have been submitted in the O/o District Planning Officer.		Remarks if any.
		Regular	Contractual	Regular	Contractual	

कृपया इसे अति आवश्यक समझे।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।